



2026:AHC:127114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 15898 वर्ष 2026

बसंत याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : हितेश पचौरी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी. ए.

कोर्ट नंबर - 6

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल,

- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हितेश पचौरी तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री विजय प्रकाश साहू की दलीलें सुनी गई तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
- प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र, अभियुक्त/आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 191/2026, धारा 3(5), 111(2) (बै.), 318(2), 319(2), 338, 339, 340(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, थाना सदर, जनपद आगरा के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण में विचारण की अवधि के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि एफ.आई.आर. के अनुसार 10 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड तथा कुछ आधार कार्ड दस अभियुक्तों, जिनमें आवेदक भी शामिल है, के संयुक्त कब्जे से बरामद किए जाने का उल्लेख है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पुलिस के समक्ष आवेदक द्वारा साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त होने

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कथित स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया गया है, किन्तु ऐसी स्वीकारोक्ति स्वयं में उसके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी अवगत कराया कि सह-अभियुक्त रूपेश को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 05.06.2026 को आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या

जमानत संख्या 15898/2026

2

18832/2026 में पारित आदेश के माध्यम से जमानत प्रदान की जा चुकी है। आगे यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध केवल एक आपराधिक मामला लंबित है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्राप्त है। आवेदक दिनांक 04.04.2026 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का जोरदार विरोध किया है और उनका कहना है कि दस आरोपियों के संयुक्त कब्जे से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जिनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी में किया जाता है, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि सह-आरोपी को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार 10 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड तथा कुछ आधार कार्ड आवेदक सहित कुल दस अभिरक्षकों के संयुक्त कब्जे से बरामद होना दर्शाया गया है। यह भी निवेदित किया गया कि आवेदक द्वारा पुलिस के समक्ष साइबर धोखाधड़ी में संलिप्त होने की कथित स्वीकारोक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि आवेदक के विरुद्ध केवल एक आपराधिक प्रकरण का आपराधिक इतिहास है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्राप्त है। आवेदक दिनांक 04.04.2026 से निरंतर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा सह-अभियुक्त रूपेश को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़, विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिकवादों की अधिकता तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम**

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038 में प्रतिपादित विधिक अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सिद्धांतों एवं इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** में जमानत प्रदान किए जाने संबंधी निर्धारित दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

जमानत संख्या 15898/2026

3

7. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. अतः आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित आवेदक- **बसंत** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का एक अतिरिक्त बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, को किसी प्रकार का प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष वास्तविक तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए। आवेदक साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक विचारण एवं विवेचना/जांच में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा तथा किसी भी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित जमानत बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

9. उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु इस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करे।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं। इन टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति, श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)

दिनांक : 12 जून, 2026

एस.ए.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।